

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:ई- 32 / लूज / सेवानिवृत्त / स्वा.निरी. / 2024 /

दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	सेवानिवृत्त दिनांक
1.	श्री राजेन्द्र कुमार पारीक, स्वास्थ्य निरीक्षक	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, भीलवाडा।	04-07-1964	31.07.2024
2.	श्री हरेन्द्र कुमार शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।	13-05-1964	31.05.2024
3.	श्री अहमद हुसैन मन्सूरी, स्वास्थ्य निरीक्षक	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भिनाय।	18-05-1964	31.05.2024

यह प्रमाणित किया जाता है कि क्र.सं 01-03 पर अंकित कार्मिको के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज. जयपुर

दिनांक : 19/02/2024

क्रमांक:ई- 32 / लूज / सेवानिवृत्त / स्वा.निरी. / 2024 / 47

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर/भीलवाडा/केकडी को भिजवाकर लेख है कि भविष्य में कार्मिकों द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त प्रकरण निदेशालय को 1 वर्ष पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भिनाय, केकडी राजस्थान।
4. नर्सिंग अधीक्षक, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र भीलवाडा।
5. प्रशासनिक अधिकारी, डी.पी.सी/टी.सी (अराजपत्रित), अनुभाग।
6. संबंधित कर्मचारियों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि कोई ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज. जयपुर

RajKaj Ref
5637337

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh

Kumar Nawal

Designation: Director

Date :14-02-2024 05:48:22